

विज्ञापित

शिक्षुता अधिनियम 1961 के अंतर्गत इस कार्यालय में औद्योगिक शिक्षुओ का एक वर्ष के लिए चयन किया जाना है। चयनित शिक्षुओ को प्रशिक्षण एवम भत्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत देय होगा। कर्मशाला, झज्जर में दिनांक 28.02.2024 को नीचे दर्शाए गए निम्नलिखित ट्रेड्स के प्रशिक्षुओं का चयन किया जाना है। जिन प्रशिक्षुओं ने ऑनलाईन पोर्टल पर अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाया है। वह प्रशिक्षु अपने मूल दस्तावेज जैसे- रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मेट्रिक सर्टिफिकेट, आईटीआई मार्कशीट, आधार कार्ड आदि लेकर दिनांक 28.02.2024 को कर्मशाला, झज्जर में प्रातः 10:00 बजे पहुंचे।

क्रमांक	ट्रेड्स	रिक्त पद
1.	फिटर	19
2.	पैन्टर	1
	कुल	20

नोट:- शिक्षुता अधिनियम 1961 के अनुसार किसी भी संस्थान से पूर्व में प्रशिक्षण पूरा कर चुके उम्मीदवार दूसरी बार प्रशिक्षण लेने के पात्र नहीं हैं।

2. इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाईन पोर्टल <https://www.apprenticeshipindia.gov.in> पर अपना रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाईन आवेदन दिनांक 28.02.2024 तक कर सकते हैं।

3. महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन झज्जर के पास अपरेंटिस विज्ञापित में वर्णित रिक्तियों को घटाने और बढ़ाने का अधिकार है।

4. चयनित उम्मीदवार को सहायक शिक्षुता सलाहकार झज्जर द्वारा कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार करने के बाद प्रशिक्षण पर लिया जाएगा।

5. चयनित प्रशिक्षुओ को प्रशिक्षण हेतु झज्जर डिपो या बहादुरगढ सब डिपो कहीं पर भी भेजा जा सकता है।

हस्ता/-महाप्रबंधक
हरियाणा राज्य परिवहन
झज्जर

पीआरडीएच-1119/11/477/2024/25203/88/6 दि. 21.02.2024